प्रकरण संख्या 40/2017 तेरसिंग बनाम श्रीमती रेशम

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 78 नया 70 पुराना के आराजी नंबर 200, 220, 221, 230 से 233, 388 कुल खसरा 8 रकबा 1.43 हैक्टर ग्राम सालिया में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 0.65 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1.30 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 0.22 हैक्टर होकर इसी अनुसार काबिज है। खसरा नंबर 200, 220 व 221 पर वादिया का कब्जा है। अतः विवादित आराजियात का विभाजन किया जाकर वादिया के हिस्से में 0.65 हैक्टर रखा जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रखी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 09.05.2017 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एम. के. गांधी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व उसके अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय से कई बार जानकारी चाही, लेकिन उन्हें निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2017 को फैसलों की सूची जारी करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवे[illegible]त शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्र[illegible]हुआ के दृष्टि न्यायहि[illegible] मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रव[illegible]र्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 40/2017 तेरसिंग बनाम श्रीमती रेशम

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी की साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत था, किन्तु अपीलान्ट की बिना साक्ष्य लिये एवं प्रार्थना पत्र का बिना निस्तारण किये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित कुल भूमि रकबा 1.43 का अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.12.2016 अनुसार प्रकरण जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जवाब लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:40 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर